भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3184
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023
ऑटो ईंधन की गुणवत्ता की जांच

†3184. श्री विनोद कुमार सोनकर :
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री भोला सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ऑटो ईंधन की गुणवत्ता की जांच करने का काम सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी (एसएफपीएल) के नाम से पंजीकृत ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला, नोएडा को सौंपा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एसएफपीएल के प्रचालन और प्रबंधन को भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को आउटसोर्स किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों और अन्य हितधारकों से प्राप्त नमूनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने एसएफपीएल के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान एसएफपीएल की अन्य प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी (एसएफपीएल) के नाम पर एक स्वतंत्र ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला (एफटीएल) पंजीकृत की गई थी जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर)/ राष्ट्रीय राजधानी संघ शासित प्रदेश (एनसीटी) में ऑटो तरल ईंधनों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए की गई थी। एसएफपीएल का प्रचालन और प्रबंधन एक प्रतिष्ठित सीएसआईआर पेट्रोलियम प्रयोगशाला, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), देहरादून को आउटसोर्स किया गया था। विभिन्न मंत्रालयों के तहत काम करने वाले स्वायत्त निकायों को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया के रूप में एसएफपीएल का प्रचालन दिनांक 24.6.2022 से बंद किया गया है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 (दिनांक 24.06.2022 तक) के दौरान एफटीएल को तेल विपणन कंपनियों और अन्य हितधारकों से 2,978 नमूने प्राप्त हुए हैं।

(घ) से (च) सरकार ने समय-समय पर समीक्षा बैठकों का आयोजन कर, एक पंजीकृत सीए के माध्यम से वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा करा कर और सीएजी लेखापरीक्षा जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं से कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया। अधिदेश के अनुरूप, ऑटो ईंधन नमूनों का मूल्यांकन बीआईएस मानदंडों के अनुपालन में प्रोटोकॉल के अनुसार एसएफपीएल में किया गया था। ****